e-mail- dcourtkhd-mp@nic.in ☎ 0733-2921001

<u>निविदा विज्ञप्ति का प्रारूप</u>

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म.प्र.)

–:: **निविदा विज्ञप्ति** ::–

जिला न्यायालय परिसर, खण्डवा स्थित वाहन स्टैण्ड संचालन के लिये वर्ष 2024 में (दिनांक 01.01.2024 से 31.12.204 तक) वार्षिक अनुबंध हेतु निविदाएँ सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म मय शर्तों के कार्यालयीन समय 11.00 से 05.00 बजे तक जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, खण्डवा के पास ₹ 100/– जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक 23.12.2023 सायं 5.00 बजे तक रहेगी। निविदा दिनांक 02.01.2024 को सायं 5.00 बजे खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। अंतिम निर्णय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का रहेगा।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खण्डवा (म.प्र.)

e-mail- dcourtkhd-mp@nic.in ☎ 0733-2921001

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म.प्र.)

जिला न्यायालय परिसर, खण्डवा स्थित वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

—: निविदा फार्म :—

प्रथम पक्ष :— निविदाकर्ता का नाम : ....
पता : ....
मोबाईल : ....

द्वितीय पक्ष :— जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा (म.प्र.)

——00——

जिला न्यायालय परिसर, खण्डवा में आने—जाने वाले वाहनों के लिये, वर्ष 2024 में (अवधि दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक) वाहन स्थानक (स्टैण्ड) के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से निर्धारित शर्तों के अध्ययधीन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :—

।। निर्धारित शर्तें ।।

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएँ दिनांक 23.12.2023 सायं 5.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2. अनुज्ञा शुल्क रू. 1,500/— प्रतिमाह निर्धारित होगा जो अनुबंध निष्पादन के पूर्व सम्पूर्ण वर्ष का रू. 18,000/— अग्रिम के रूप में द्वितीय पक्ष को अदा करना होगा।

3. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली (गतवर्ष की अनुबंध राशि रू. 2,67,300 से 10 प्रतिशत से अधिक की बोली) अंतिम रूप से मान्य होगी, उस निविदाकर्ता के साथ वाहन स्टैण्ड का संचालन एक वर्ष की अवधि के लिए दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध सम्पादित किया जावेगा। वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु अनंतिम बोली की राशि में कम से कम 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा किये जाने पर सहमत होने पर, अनुबंध में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। इस हेतु निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्ति के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन—पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा। अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्त उल्लिखित अनुक्रमांक 02 के अनुसार ही प्रथम पक्ष को अदा करना होगी।

4. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रू. 10,000/— (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) की अमानत राशि प्रधान जिला न्यायाधीश, खण्डवा को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ता को उक्त अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस लौटाया जायेगा, किन्तु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि अमानत के रूप में, निविदाकर्ता और प्रधान जिला न्यायाधीश, खण्डवा के संयुक्त नाम से बैंक एफ.डी.आर. तैयार कर प्रस्तुत करना होगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लघंन किये जाने पर द्वितीय पक्ष/समिति द्वारा लिये गये निर्णय व दिये गये प्रतिवेदन अनुसार राजसात की जा सकेगी।

5. सफल निविदाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

6. प्रथम पक्ष वर्ष 2024 में (अवधि दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक) जिला न्यायालय परिसर, खण्डवा स्थित वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु राशि रू. .... (अक्षरी रू. ....) की **अधिकतम बोली** प्रस्तावित की जाती है।

7. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्ण बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक तीन माह पश्चात् जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

8. अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लघंन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के वाहन स्टैण्ड अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगी एवं धरोहर राशि को शासन हित में राजसात किया जा सकेगा, जिस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

9. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आदेशानुसार या अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा अनुज्ञा शर्तो में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा जिसका निविदकर्ता/प्रथम पक्ष को पालन करना अनिवार्य होगा।

10. वाहन स्टैण्ड के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा किया जावेगा। जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

11. निविदाकर्ता/प्रथम पक्ष ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो, अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेंगी।

12. निविदाकर्ता/प्रथम पक्ष वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधिविरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

13. निविदाकर्ता/प्रथम पक्ष वाहन स्टैण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय-समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि विशेष अवसरों पर वाहन स्टैण्ड का आवश्यक रूप से संचालन किया जायेगा।

14. निविदाकर्ता/प्रथम पक्ष वाहन स्टैण्ड के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/संरचना नहीं करेगा। निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टैण्ड संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश, खण्डवा को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगें, जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो प्रथम पक्ष अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।

15. निविदाकर्ता/प्रथम पक्ष वाहन स्टैण्ड तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा। किसी भी प्रकार का प्रदूषण चाहे वह ध्वनि प्रदूषण ही क्यों न हो, नहीं करेगा। अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस ₹ 100 की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

16. निविदाकर्ता/प्रथम पक्ष वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा जिससे पक्षकारगण तथा अन्य वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो तथा सार्वजनिक या अन्य मार्ग पर वाहन पार्किंग न तो स्वयं करेगा न अन्य को करने देगा।

17. सामान्यतः प्रथम पक्ष दोपहिया वाहन/चार पहिया वाहन के लिये अधिकतम निम्नानुसार पार्किंग शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा :–

1.	सायकल	–	**पांच रूपया प्रतिदिन**
2.	दोपहिया वाहन	–	**दस रूपये प्रतिदिन**
3.	चार पहिया वाहन एवं अन्य	–	**बीस रूपये प्रतिदिन**

किन्तु न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण को एवं अन्य शासकीय विभाग के कर्मचारियों एवं विकलांगों को वाहन स्थानक (स्टैण्ड) पर अपने वाहनों को निःशुल्क रखने की पात्रता होगी।

किन्तु यह भी कि प्रथम पक्ष अधिवक्तागण के वाहन से लिये जाने वाले शुल्क की दर अधिवक्ता संघ, खण्डवा के पदाधिकारियों से चर्चा कर पृथक से नियत करेगा।

अनुमोदित पार्किंग शुल्क की दरों को प्रथम पक्ष को निज व्यय पर सहज दृश्य भागों पर प्रदर्शित करना होगा।

18. निविदाकर्ता/प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के कर्मचारी वाहन स्वामियों से सभ्यतापूर्वक व्यवहार करेगा। साथ ही वाहनों की सुरक्षा का दायित्व भी प्रथम पक्ष का ही रहेगा।

19. निविदाकर्ता/प्रथम पक्ष वाहन स्थानक (स्टैण्ड) के संचालन के लिये किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी को नियोजित नहीं करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार जिला न्यायालय, खण्डवा से अनुमोदित करायी जायेगी तथा प्रथम पक्ष अपने कर्मचारियों को पहचानपत्र जारी करेगा जो उसे धारण करना होगा।

20. निविदाकर्ता/प्रथम पक्ष अनावश्यक रूप से स्टैण्ड बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा ₹ 500 प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

21. स्टैण्ड के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

22. जिला न्यायालय परिसर, खण्डवा में स्थित स्टैण्ड परिसर 'यथावत स्थिति में' प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा।

23. वाहन स्टैण्ड प्रधान जिला न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा अनुमोदित समय, सामान्यतः प्रातः 8–30 बजे से सायंकाल 7:30 बजे तक ही चलाया जावेगा तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

24. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जायेंगे, उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

25. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में उल्लिखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

26. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंधकर्ता अथवा उसके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तो का उल्लंघन करने/विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले हो, ऐसी स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

e-mail- dcourtkhd-mp@nic.in ☎ 0733-2921001

27. कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश, खण्डवा/द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तो में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

निविदाएँ दिनांक 02.01.2024 को सायं 5.00 बजे जिला न्यायालय, खण्डवा पर गठित समिति द्वारा खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता चाहे तो उपस्थित रह सकते है।

मुझे/निविदाकर्ता को निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तें स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)	(द्वितीय पक्ष)